

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-१८, वन मवन, सैक्टर ६, पंचकुला, दूरमाष/फैक्स +९१ १७२ २५६३९८८, २५६०७०६, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

कमांक: प्रशा-डी-तीन-१०१६४ / ५४८०

दिनांक: २१-१२-२०२१

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल,
हिसार।

विषय: Diversion of 0.0151 ha. forest land for laying of underground OFC by M/s Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. in Sirsa (FSA SIRS 0112). TOTAL LENGTH 335 METERS, under forest division and District Sirsa, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/OFC/142408/2021)

संदर्भ: आपके ऑनलाइन प्रस्ताव दिनांक १४-१२-२०२१।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भाक्ति पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा २ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

२. सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक १६७०-व-२-२०१६/८४३० दिनांक ६-५-२०१६ की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु ०.०१५१ हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है :—

१. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
२. इस केस में कोई वृक्ष नहीं काटा जाएगा।
३. प्रयोक्ता एजैन्सी स्थानीय अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के वन विभाग से वन संरक्षण तथा पौधारोपण के हित में राज्य वन विभाग की किसी भी शर्त की पालना करेगी।
४. यह ओ०एफ०सी० वन भूमि के सबसे बाहरी किनारे के साथ बिछाई जाएगी और खोदी गई जमीन प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा पुनः स्थापित की जाएगी।
५. प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार की वन सम्पदा/पर्यावरण को होने वाली हानि की भरपाई करेगी।
६. प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार के रख-रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी।
७. वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
८. यह कार्य इस स्वीकृति पत्र के जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण करना होगा।
९. यह स्वीकृति अन्य सम्बन्धित अनुच्छेदों/नियमों/न्यायालय आदेशों/अनुदेशों आदि के अधीन प्रस्ताव की अनुमति पर निर्भर करती है जैसा कि इस प्रस्ताव पर लागू है।
१०. खाई (trench) की चौड़ाई एक मीटर से अधिक व गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
११. यह स्वीकृति राश्ट्रीय उद्यान व वन्य प्राणी विहार क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।
१२. इस स्वीकृति को किसी भी समय स्थगित/रद्द किया जा सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोशप्रद नहीं है।

१२ दिसंबर २०२१
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला।
16/12/2021

प्रतिलिपि :—

१. क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बेज नं० २४-२५, सैक्टर-३१-ए, चण्डीगढ़।
२. वन मण्डल अधिकारी सिरसा।
३. M/s Jio Digital Fibre Pvt. Ltd., Mohali.